रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2002/कार्तिक 2, 1924
No. 917] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2002/KARTIKA 2, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2002

का.आ. 1111(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 14 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 193(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अंध कल्याण केन्द्र(अंध कल्याण केन्द्र) 20, नवरूप कालोनी, शांति नगर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380013, गुजरात द्वारा ग्राम रानिप, जिला अहमदाबाद, गुजरात में अन्ध कल्याण केन्द्र के निर्माण, उपकरण साजसज्जा एवं संचालन की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 15 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद में दिनांक 11 मई,1999 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 316(अ0)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ङ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंध कल्याण केन्द्र(अंध कल्याण केन्द्र) 20, नवरूप कालोनी, शांति नगर, आश्रम रोड,

अहमदाबाद-380013, गुजरात द्वारा ग्राम रांचिप, जिला अहमदाबाद, गुजरात में अन्ध कल्याण केन्द्र के निर्माण, उपकरण साजसज्जा एवं संचालन की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र एक करोड़ पांच लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 309-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)